संख्या–303 /59–2–2013–93(खा)/2007

प्रेषक,

हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 03/5/2013

विषय–: वित्तीय वर्ष 2013–14 में खादी एवं कम्बल उत्पादन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या–03/खा0ग्रा0बो0/खादी/उच्चीकरण/2013–14, दिनांक 03–04–2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में खादी एवं कम्बल, उत्पादन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण योजना "आयोजनागत मद" हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 60,00,000/– (रूपये साठ लाख मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रुपये 30,00,000/– (रूपये तीस लाख मात्र) की धनराशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–1–640/दस–2013–231/2013, दिनांक 28.03.2013 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी.एम.–8 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6 को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कण्ट्रोलर एण्ड–आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट कि लिए उपलब्ध रहेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि से हाने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–5 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनागत–105–खादी ग्रामोद्योग–23–खादी एवं कम्बल उत्पादन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या– बी–1–640/दस–2013–231/2013, दिनांक 28.03.2013 में की गई व्यवस्था के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव

संख्या–303/59–2–2013–93(खा)/2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/नियोजन अनुभाग–4
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, संगम पैलेस, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. एन0आई0सी0, नियोजन विभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव